निर्वाचनों से सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराधों सम्बन्धी विधिक प्राविधान

2011

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
वेबसाइट : **www.eci.nic.in**

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ-लखनऊ
ई-मेल : **ceoup@nic.in**
वेबसाइट : **www.ceouttarpradesh.nic.in**

टॉल फ्री
1800 180 1950

प्रस्तावना

विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया था कि विभिन्न चुनावों, यथा संसद के दोनों सदनों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मण्डल, के दौरान प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा यदि विभिन्न अनैतिक कार्य एवं अपराध किये जाते हैं तो उस सम्बन्ध में क्या विधिक कार्यवाई अपेक्षित है, इसकी जानकारी दी जाये तथा निर्वाचकों में जागरूकता पैदा की जाए।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचनों से सम्बन्धित विविध अपराध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता में सूचीबद्ध हैं, जिन्हें इस पुस्तिका में संकलित किया गया है। ये विधिक प्राविधान इन अपराधों के लिए उपलब्ध आनुपातिक अथवा सम्मेय दण्ड भी दर्शाते हैं।

निर्वाचनों के सन्दर्भ में भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न विधिक प्राविधान आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराये हैं। मुझे आशा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गयी यह पुस्तिका नागरिकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

उमेश सिन्हा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

निर्वाचनों से सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराधों सम्बन्धी विधिक प्राविधान

क्र.सं.	अपराध का संक्षिप्त विवरण	धारा/नियम	प्रकार	सजा
	सभाओं से सम्बन्धित निर्वाचन अपराध			
1	**125– निर्वाचन के संबंध में वर्गों की बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना–** जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। **153क– धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्मस्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना–** (1) जो कोई – (क) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा (ख) कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और लोक–प्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो; (ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जायेंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय,	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153–क	संज्ञेय	तीन वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों

	भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जायेंगे अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जायेंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसे धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा। **(2) पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध** – जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हो, करेगा, वह कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।			
2	**मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबन्ध**– (1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तासील घंटों की कालावधि के दौरान, (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उससे उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद–प्रामोद	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126	असंज्ञेय	दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों

	जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। (2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा। (3) इस धारा में, "निर्वाचन संबंधी बात" पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।			
3	**निर्वाचन सभाओं में उपद्रव**– जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, संबंध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विश्रृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127	संज्ञेय	6 मास का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों
	वाहनों से सम्बन्धित अपराध			
1	**133. निर्वाचनों में प्रवहण के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति**– यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133	असंज्ञेय	3 मास का कारावास अथवा जुर्माना
	निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों/व्यक्तियों से सम्बन्धित			
1	**मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना**– (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128	असंज्ञेय	3 मास का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों

	परन्तु इस उपधारा के उपबंध ऐसे आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को, जो राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन में ऐसे किसी कर्तव्य का पालन करता है, लागू नहीं होंगे। (2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।			
2	**निर्वाचनों में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे –** (1) जो कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा। (2) **यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–** (क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का; और न (ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का; और न (ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का; प्रयास करेगा। (3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो 6 मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129	संज्ञेय	छह मास का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों
3	**निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग–** (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। (2) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा। यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134	संज्ञेय	रू0 500/– तक का जुर्माना

	विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी। (3) वे व्यक्ति, जिन्हे यह धारा लागू है या है, जिला निर्वाचन आफिसर, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा ''पदीय कर्तव्य'' पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तद्नुसार लगाया जायेगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है।			
4	**निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति–** यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134–क	असंज्ञेय	तीन मास का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों
	मतदान दिवस (ों) को मतदेय स्थलों में या उनके निकट			
1	**मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध–** (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में कोई कार्य न करेगा, अर्थात् :– (क) मतों के लिए संयाचना; (ख) किसी निर्वाचक से उनके मत को याचना करना; (ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना; (घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना और; (ड़) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना;	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130	संज्ञेय	रू0 250/– तक का जुर्माना

	(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डीय होगा। (3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।			
2	**मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विश्रृंखल आचरण के लिए शास्ति**– (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है – (क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युपादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा; और न (ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वारा पर या उसके पड़ोस में के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विश्रृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ आफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो। (2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास, से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। (3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो वह किसी पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा। कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131	पीठासीन अधिकारी के आदेश पर पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है।	तीन मास का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों

3	**मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति**– (1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन आफिसर या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा। (2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए। (3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा। (4) उपधारा (3) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132	संज्ञेय	तीन मास का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों
	आयुध रखने के विरूद्ध			
1	**मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध** – (1) रिटर्निंग आफिसर पीठासीन आफिसर और किसी पुलिस आफिसर से तथा मतदान केन्द्र पर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस–पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जायेगा। (2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा। (3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134–ख	संज्ञेय	दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों

	कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहृत की गई समझी जाएगी।			
	ई0वी0एम0/मतपत्रों में छेड़छाड़ के विरूद्ध			
1	**मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा**– (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र (अप्राधिकृत रूप से) बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों, से दंडनीय होगा। (2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निर्देश दे सकेगा; और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा; परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए ली जायेगी। (3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जायेगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। (4) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय उपराध संज्ञेय होगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135	पीठासीन अधिकारी के आदेश पर पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है।	एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों
2	**बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध**– (1) जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नही होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–क	संज्ञेय	3 से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना, यदि

	होगी किन्तु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा। **स्पष्टीकरण**– इस उपधारा और धारा–20 ख, के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात ग्रहण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है अर्थात् :– (क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है; (ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना; (ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना; (घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्ति द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है; (ड़) सरकार की सेवा में से किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।			अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो और अन्य के लिए एक से 3 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

3	**अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां** – (1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति– (क) कोई नामनिर्देशन पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा (ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा; अथवा (ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा (घ) सम्यक प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से काई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा; अथवा (ड़) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा (च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा (छ) यथास्थिति कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा; तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा। (2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति :– (क) यदि वह रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा;	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 136	संज्ञेय	दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों यदि अपराध निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित किसी आफिसर या लिपिक द्वारा किया गया हो और अन्य व्यक्तियों के लिए छह मास का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों

	(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जायेगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित होगा।			
	किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित करने के विरूद्ध			
1	**मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी** – (1) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती। (3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ख	असंज्ञेय	रू0 500/– तक का जुर्माना

मतदाताओं को धमकी/प्रलोभन दिये जाने को नियंत्रित करना

1	जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रिति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करता है, वह अपराध करता है।	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा **3 (i) (vii)**	संज्ञेय	
2	**171 ख– रिश्वत** – (1) जो कोई– **(i)** किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोष देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है; अथवा **(ii)** स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है; वह रिश्वत का अपराध करता है। परन्तु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा। (2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। (3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जायेगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख/ 171 च	असंज्ञेय	एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों

	करने का उसका आशय नहीं है, हेतुस्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जायेगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है। **171ड़– रिश्वत के लिए दंड** – जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा, परन्तु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जायेगी। स्पष्टीकरण – "सत्कार" से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है।			
3	**171ग– निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना** – (1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है। (2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई – (क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है; अथवा (ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जायेगा; यह समझा जायेगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। (3) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग/ 171 च	असंज्ञेय	एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों

	171च– निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड – जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।			
4	**171घ– निर्वाचनों में प्रतिरूपण** – जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है, या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है; परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहाँ तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। **171च– निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड** – जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 घ/ 171 च	संज्ञेय	एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों
5	**171छ– निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन**– जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से दंडित किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 छ	असंज्ञेय	जुर्माना

6	**171ज– निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय**– जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा, या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपय तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा; परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रूपये से अधिक न हो, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जायेगा कि उसके ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ज	असंज्ञेय	पांच सौ रूपये तक के जुर्माने का दण्ड
7	**विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन** – जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को, इस आशय से कि, या जिससे वह संभाव्य हो कि विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 505 (2)	संज्ञेय	पांच वर्ष तक कारावास और जुर्माना
8	**मिथ्या शपथपत्र आदि फाइल करने के लिए शास्ति** – कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में, (i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क	असंज्ञेय	छह मास का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों

	सूचना देने में असफल रहेगा; **(ii)** ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; **(iii)** कोई सूचना छिपाएगा; तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।			
9	**मिथ्या घोषणाएं करना** – यदि कोई व्यक्ति (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के; अथवा (ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है य विस्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विस्वास नहीं है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31	असंज्ञेय	एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों
	ड्यूटी पर लोकसेवक को हानि पहुँचाने के विरूद्ध			
1	धारा 332/333/353 कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने हेतु साधारण या कष्टदायक चोट पहुँचाएगा या हमला करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दो से दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332/333/353	संज्ञेय	दो से दस वर्ष तक कारावास और जुर्माना
	पुस्तिकाओं/पोस्टरों/पर्चों/प्लेकार्डों से सम्बन्धित			
1	**पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन**– (1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। (2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को – (क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित करायेगा जिसमें वह उसके	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क	असंज्ञेय	छह मास का कारावास अथवा रू0 2000/– तक का जुर्माना अथवा दोनों

	प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है; तथा (ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित – **(i)** उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को तथा **(ii)** किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है। (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए – (क) दस्तावेजों की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जायेगा कि वह मुद्रण है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा; तथा (ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टयों को केवल आख्यापित करनेवाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता। (4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।			

1	**भ्रष्ट आचरण** – निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे। (1) **"रिश्वत" अर्थात** :– (अ) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः, या परतः यह उद्देश्य हो कि – (क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए, अथवा (ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित किया जाय अथवा जो– **(i)** किसी व्यक्ति के लिए इस बात से वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली या नहीं ली; अथवा **(ii)** किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा, इनाम के रूप में हो, (आ)(क) व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए; या (ख) किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो; स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए, चाहे हेतुक के रूप में या इनामवत् कोई परितोषण प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए करार करना। **स्पष्टीकरण** – इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "परितोषण" पद धन रूपी परितोषणों या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब रूप के मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप के नियोजन आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत और धारा 78 में निर्दिष्ट निर्वाचन व्ययों के लेखे में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किन्हीं व्ययों के संदाय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1)		भ्रष्ट आचरणों के संबंध में निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है।

2	**असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षतः या परतः हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्न; परन्तु** :– (क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो – **(i)** किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है; अथवा **(ii)** किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जायेगा, यह समझा जायेगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करता है; (ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जायेगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (2)		भ्रष्ट आचरणों के संबंध में निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है।
3	किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3)		भ्रष्ट आचरणों के संबंध में निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय

	उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई; परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आबंटित कोई प्रतीक इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जायेगा।			के समक्ष दाखिल की जा सकती है।
4	किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3क)		भ्रष्ट आचरणों के संबंध में निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है।
5	किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन। **स्पष्टीकरण** – इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए ''सती कर्म'' और सती कर्म के संबंध में ''गौरवान्वयन'' के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) में है।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3 ख)		भ्रष्ट आचरणों के संबंध में निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है।
6	किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (4)		भ्रष्ट आचरणों के संबंध में निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है।

7	धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचक के मुक्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना; परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवाहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयानभाड़े पर लिया गया है, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से चालित न होने वाला है तो ऐसे यान या जलयान के भाड़े पर लिए जाने की बाबत यह न समझा जायेगा कि वह भ्रष्ट आचरण है; परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण है। **स्पष्टीकरण** – इस खण्ड में ''यान'' से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (5)		भ्रष्ट आचरणों के संबंध में निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है।
8	धारा 77 के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (6)		उपरोक्त

9	सरकार की सेवा में के और निम्नलिखित वर्गों, अर्थात् – क. राजपत्रित आफिसरों, ख. साम्बलिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रटों, ग. संघ के शस्त्र बलों के सदस्यों, घ. पुलिस बलों के सदस्यों, ड़. उत्पाद शुल्क आफिसरों, च. राजस्व आफिसर, जो लंबरदार, मालगुजार पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व आफिसरों से भिन्न है, जिसका कर्तव्य भू–राजस्व संगृहीत करना है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू–राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलना है किन्तु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करते; और छ. सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति वर्ग जैसे विहित किए जाये, में से किसी वर्ग में के किसी व्यक्ति से अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए (मत देने से अन्यथा) कोई सहायता अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त या उपाप्त किया जाना या अभिप्राप्त या उपाप्त करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना; परन्तु सरकार की सेवा में का और पूर्वोक्त वर्गों में से किसी वर्ग में का कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता, या उस अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसके संबंध में अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में (चाहे अभ्यर्थी द्वारा धारित पद के कारण या किसी अन्य कारणवश) कोई इंतजाम करता है या कोई सुविधा देता है या कोई अन्य कार्य या बात करता है तो ऐसा इंतजाम, सुविधा या कार्य या बात उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए सहायता नहीं समझी जायेगी।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (7)		भ्रष्ट आचरणों के संबंध में निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है।

10	**अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण।** **स्पष्टीकरण** – (1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते है। (2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है। (3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के संबंध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन– **(i)** यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा; और **(ii)** यहाँ, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है, वहाँ इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था। (4) खण्ड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135 क में है।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (8)		भ्रष्ट आचरणों के संबंध में निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है।